मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

आदेश

क्रमांक 01–07/वेपुप्र/441 जबलपुर, दिनांक 25.01.2010

विषयः दिनांक 1.1.2006 से लागू वेतन पुनरीक्षण हेतु दिनांक 1.1.2006 से 31.8.2008 तक की अवधि हेतु वेतन एरियर्स का भुगतान ।

–:0:–

मंडल ने मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ/8/2009/नियम/चार, भोपाल दिनांक 28 फरवरी, 2009 एवं तत्संबंधी जारी आदेश क्रमांक एफ/8/2009/नियम/चार, भोपाल दिनांक 28 फरवरी, 2009 के माध्यम से राज्य शासन के सेवकों के वेतन पुनरीक्षण संबंधी जारी **"मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009"** एवं उक्त तारतम्य में जारी अन्य संशोधनों/आदेशों/स्पष्टीकरणों को अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों के दिनांक 1.1. 2006 से वेतन पुनरीक्षण हेतु यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित आदेश क्र. 01–07/वेपुप्र/1369 दिनांक 2.3.2009 सहपठित 01–07/वेपुप्र/4281 दिनांक 13.8.2009 एवं समय–समय पर जारी अन्य संशोधनों/ आदेशों/स्पष्टीकरणों द्वारा ग्राह्य किया है ।

उक्त **"मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009"** के तारतम्य में म. प्र. शासन वित्त मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ–8/2009/नियम/चार दिनांक 20 दिसंबर, 2009 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2006 से दिनांक 31.8.2008 की अवधि के शासकीय सेवकों के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) के भुगतान संबंधी प्रावधान जारी किये गये हैं । मडल द्वारा उक्त ज्ञाप दिनांक 20 दिसंबर 2009 को अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु यथावश्यक संशोधनों सहित निम्नानुसार ग्राह्य करने का निर्णय लिया गया है :–

1. दिनांक 1.1.2006 से 31.8.2008 की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का नगद भुगतान माह अगस्त, 2010 से प्रारंभ कर 60 समान किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है ।

2. वेतन एरियर्स का भुगतान निम्न प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा :–

(अ) **कर्मचारियों हेतु** :–

(i) संबंधित कर्मचारी की पदस्थापना 01 अगस्त, 2010 को जिस कार्यालय में होगी, उसी कार्यालय द्वारा सम्पूर्ण अवधि के वेतन एरियर्स की गणना पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन + ग्रेड पे पर पूर्व में भुगतान की गई राशि (वेतन, अतिरिक्त वेतन, मंहगाई वेतन तथा मंहगाई भत्ता) समायोजित करते हुये की जावेगी । देय राशि की प्रविष्टि गणना पत्रक सहित संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जावेगी । एरियर्स राशि की जानकारी सबंधित कर्मचारी एवं उसके दिवंगत होने की स्थिति में उसके परिवार को उपलब्ध कराई जायेगी ।

(ii) एरियर्स के भुगतान को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से निर्णय लिया गया है कि वेतन एरियर्स की अवधि में कर्मचारी सेवा की जिस–जिस कार्यालय में पदस्थापना रही है, उस कार्यालय में पदस्थापना अवधि में आहरित वेतन की राशि की जानकारी पूर्ण विवरण सहित (यथा लेखा इकाई बाउचर क्रमांक व दिनांक) प्राप्त की जाकर इसकी प्रविष्टियॉ सेवा पुस्तिका में की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें ।

(iii) कर्मचारी को एरियर की प्रथम/अनुवर्ती, किश्त/किश्तों के भुगतान पश्चात अन्यत्र पदस्थापना होने पर नवीन कार्यालय द्वारा उपरोक्त के आधार पर एरियर्स की शेष किश्तों का भुगतान किया जाकर सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जायेगी ।

(ब) **अधिकारियों हेतु** :–

संबंधित अधिकारी का वेतन आहरण 01 अगस्त, 2010 को जिस लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जा रहा हो, उसी लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय द्वारा सम्पूर्ण अवधि के वेतन एरियर्स की गणना पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन + ग्रेड पे पर पूर्व में भुगतान की गई राशि (वेतन, अतिरिक्त वेतन, मंहगाई वेतन तथा मंहगाई भत्ता) समायोजित करते हुये की जावेगी । देय राशि की प्रविष्टि गणना पत्रक सहित संबंधित अधिकारी के सेवा विवरण में की जावेगी । एरियर्स राशि की जानकारी सबंधित अधिकारी एवं उसके दिवंगत होने की स्थिति में उसके परिवार को उपलब्ध कराई जायेगी । एरियर्स की प्रथम/अनुवर्ती किश्त/किश्तों के भुंगतान पश्चात अन्यत्र पदस्थापना होने पर नवीन क्षेत्रीय लेखा/वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय द्वारा एरियर्स की शेष किश्तों का भुगतान किया जावेगा ।

(स) वेतन एरियर्स के भुगतान के पूर्व संलग्न प्रपत्र में वचन–पत्र देना होगा ।

3. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु, दिनांक 1.1.2006 से जुलाई, 2015 के मध्य होने की स्थिति में, उन्हें वेतन के शेष रहे एरियर्स का भुगतान सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि को एक मुश्त नगद रूप में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके परिवार, जैसी भी स्थिति हो, को किया जावेगा ।

मंडल के आदेशानुसार,

(संतोष तिवारी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कार्मिक)
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल,

क्रमांक 01–07/वेपुप्र/442 **जबलपुर, दिनांक 25.01.2010**

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक म.प्र. पावर ट्रांसमीशन/जनरेटिंग कंपनी/म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं लिमि जबलपुर/इंदौर /भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेडको, जबलपुर ।
3. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर ।
4. निदेशक (सतर्कता एवं सुरक्षा) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर ।
5. समस्त कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.––––––––––कं.लिमि. ––––।
6. कार्यपालक निदेशक(संपर्क), ई–4,अरेरा कालोनी भोजपुर क्लब के सामने, म.प्र.रा.वि.मं. भोपाल ।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कार्मिक)–सचिवालय, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर ।
8. प्रमुख (कम्प्यूटर सिस्टम एवं आटोमेशन), म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर
9.. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर ।
10. निदेशक (वित्त/लेखा) म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.––––––––––कं.लिमि.–––––––––।
11. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.––––––––कं.लिमि.–––
12. अतिरिक्त निदेशक (वित्त/लेखा/बैंक एवं अर्थ प्रबंध/लेखा परीक्षा), म.प्र.रा. वि.मं. जबलपुर।
13. अतिरिक्त सचिव, म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लिमि./म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. लिमि,इंदौर/भोपाल/जबलपुर ।
14. समस्त अधीक्षण अभियंता, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.–––––––––– कं.लिमि.––––––––––।
15. संयुक्त निदेशक (लेखा/लेखा परीक्षा/भंडार व लेखा प्रबंध/पेंशन व भविष्य निधि/वित्त, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर ।
16. विधि /सांख्यिकी /जनसंपर्क अधिकारी , औद्योगिक संबंध अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं. जबलपुर ।
17. प्रबंध संचालक (अपेक्स बॉडी), शक्ति भवन, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर ।
18. स्थानिक अभियंता,एम–13/ग्रीन पार्क मेन, गेस्ट हाउस, म.प्र.रा.वि.मं.,दिल्ली ।
19. समस्त अति.अधी.अभि./कार्य. अभि., म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.–––––––––कं.लिमि.––––––––––।
20. समस्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.––––––––––कं.लिमि.––––––––––।
21. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी/ म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र. –––––––––– कं. लिमि. ––––––––––।
22. अतिरिक्त महाप्रबंधक, शहपुरा थर्मल पावर कं.लिमि., जबलपुर ।
23. निज सचिव संबद्ध अध्यक्ष/सदस्य/वित्तीय सलाहकार/सचिव एवं गोपनीय अधिकारी, म. प्र.रा.वि.मं., जबलपुर
24. समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.रा.वि.मं/म.प्र.––––––––––कं.लिमि.–––––– ।
25. समस्त अनुभाग अधिकारी, (कार्मिक)/सचिवालय, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर ।
26. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर ।

–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

25.1.10

(राजीव श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव (कार्मिक)–एक
म.प्र.राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर

आदेश कमांक 01–07 / वेपुप्र / 441 दिनांक 25.01.2010

प्रपत्र

वचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि मंडल द्वारा दिनांक 01.01.2006 से स्वीकृत वेतन पुनरीक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत मेरा दिनांक 1.1.2006 से 31.8.2008 तक की अवधि के स्वत्व (एरियर्स) की राशि का किया गया नियतन अनन्तिम है । मैं वचन देता / देती हूं कि मैं मंडल को वह संपूर्ण राशि, जो कि स्वत्व भुगतान की गणना में त्रुटि अथवा अन्य किसी कारण से मुझे अधिक भुगतान की गई हो, मंडल के निर्देशों के अनुरूप वापस करूंगा / करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय अन्य स्वत्वों से जिनमें पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य भुगतान की राशि भी सम्मिलित है, वसूली जा सकेगी । मैं यह भी वचन देता / देती हूं कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता / रहती हूं तो इस देय राशि की वापसी के लिये मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को भी आबद्ध करता / करती हूं ।

साक्षी :–	हस्ताक्षर
नाम	नाम ....
पिता का नाम..	पदनाम..
कार्यालय	कार्यालय ....
स्थान	स्थान ....
दिनांक	दिनांक ....

हस्ताक्षर :–
नाम ....
पिता का नाम..
कार्यालय ....
स्थान ....
दिनांक ....